[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 05/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची के शीर्षक 7228 के अंतर्गत ''मिश्रित स्टील की स्ट्रेट लैंथ बार एंड रोड्स' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/10/2017-डीजीएडी तारीख 5 सितंबर, 2018 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 5 सितंबर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्तुबर, 2018 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्तुबर, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

''परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा ।''

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 54/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 18 अक्तुबर, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1045(अ) तारीख 18 अक्तुबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।